मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 22.07.2025 को सभी जिला पदाधिकारी के साथ खान एवं भूतत्व विभाग के मुद्दों पर आहूत बैठक की कार्यवाही :–

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 22.07.2025 को सभी जिला पदाधिकारी के साथ खान एवं भूतत्व विभाग के मुद्दों पर आहूत समीक्षात्मक बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। समीक्षा के क्रम में निम्नवत निदेश दिये गए :–

1. राजस्व समाहरण में निर्धारित लक्ष्य से अब तक कम समाहरण करने वाले जिले यथा– पटना, गया, औरंगाबाद, मुंगेर, बाँका, भागलपुर, सारण, जहानाबाद, जमुई एवं अन्य सभी जिलों को कार्य योजना बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

2. भोजपुर, पटना, गया, रोहतास, लखीसराय, नवादा में प्रत्यार्पित बालूघाटों की संख्या अधिक है। प्रत्यार्पित बालूघाटों के प्रत्यार्पण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कराया जाय। साथ ही प्रत्यार्पित बालूघाटों की अविलम्ब नीलामी कराया जाय।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

3. पटना, वैशाली, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, अरवल, गया, जहानाबाद, मुंगेर, मोतिहारी, पूर्णियाँ एवं समस्तीपुर में अनीलामित बालूघाटों की संख्या अधिक है। अनीलामित बालूघाटों की नीलामी अविलम्ब कराया जाय।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

4. ई–नीलामी हेतु तीन प्रयास के बाद भी नीलामी नहीं होने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो सुरक्षित जमा पुनर्निर्धारण की अनुशंसा विभाग को भेजे जाने हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष विमर्श कर निर्णय लिया जाय।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

5. सारण, बाँका, भागलपुर, लखीसराय, मोतिहारी, रोहतास, समस्तीपुर एवं गया जिलों में जप्त बालू की मात्रा अधिक है। जप्त बालू की अविलम्ब नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ की जाय। यदि नीलामी में कोई निविदादाता भाग नहीं लेते हैं, तो समाहर्त्ता NHAI/Railway सहित सभी संबंधित कार्य विभागों के साथ बैठक कर जप्त बालू को निष्पादित करें।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

6. उत्तर बिहार के जिलों यथा मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज आदि जहाँ पीला बालू का स्त्रोत नहीं है, वैसे जिलों में आमजनों को जप्त बालू की नीलामी में भाग लेकर बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 के नियम– 39 के तहत K-भंडारण अनुज्ञप्ति

प्राप्त कर व्यवसाय करने हेतु विज्ञापन के माध्यम से जागरूक किया जाय। मॉनसून अवधि होने के कारण एक माह के अन्दर जप्त बालू का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः खान एवं भूतत्व विभाग/सभी संबंधित समाहर्त्ता)

7. वैसे बालूघाट जिनके शेष खनन योग्य बालू की मात्रा उनके निर्धारित वार्षिक खनन योग्य मात्रा (Annual Capping) का 10 प्रतिशत से कम है, ऐसे बालूघाटों पर नियमित रूप से विशेष निगरानी रखी जाय।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

8. नीलामित, अनीलामित तथा प्रत्यार्पित बालूघाटों का नियमित निरीक्षण कराया जाय।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

9. पत्थर भूखण्डों के संबंध में शेखपुरा, गया, बाँका, औरंगाबाद एवं कैमूर जिलों के समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR) एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

10. DMF का वार्षिक प्रतिवेदन किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली से अद्यतन अप्राप्त है तथा वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन रोहतास, सारण एवं वैशाली से अद्यतन अप्राप्त है। वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर DMF पोर्टल पर अपलोड कराया जाय।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

11. सरकारी कार्य परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिज का वास्तविक स्त्रोत एवं तत्संबंधी परिवहन चालान तथा जमा किये गए स्वामिस्व एवं मालिकाना फीस का विश्लेषण जिला स्तर पर कराया जाय। तकनीकी विभागों की समीक्षात्मक बैठक में जिला के खनन पदाधिकारी को इस हद तक अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

12. वाहनों के अधिहरण प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् वाहनों के निबंधन संख्या, चेचिस संख्या तथा ईंजन संख्या का मिलान में सावधानी बरती जाय, ताकि नीलामी की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

13. औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, बक्सर, गया, मधुबनी, नालन्दा, रोहतास, सहरसा एवं समस्तीपुर जिलों के जिला खनन कार्यालय निजी भवन में संचालित है। इन्हें शीघ्र समाहरणालय या किसी अन्य सरकारी भवन में स्थानान्तरित किया जाय।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

14. ईंट भट्ठों तथा बालूघाटों पर कार्यरत श्रमिकों को Labour Card बनवाने तथा अन्य श्रम लाभ देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाय।

(अनुपालनः सभी संबंधित समाहर्त्ता)

ह0/–
सचिव
खान एवं भतत्व विभाग

ह0/–
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक :– विविध (बैठक)– 17/2024–4090/एम0, पटना, दिनांक– 28/07/25
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/25
निदेशक, खान

ज्ञापांक :– विविध (बैठक)– 17/2024–4090/एम0, पटना, दिनांक– 28/07/25
प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/25
निदेशक, खान

ज्ञापांक :– विविध (बैठक)– 17/2024–4090/एम0, पटना, दिनांक– 28/07/25
प्रतिलिपि :– सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/25
निदेशक, खान

ज्ञापांक :– विविध (बैठक)– 17/2024–4090/एम0, पटना, दिनांक– 28/07/25
प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/25
निदेशक, खान

ज्ञापांक :– विविध (बैठक)– 17/2024–4090/एम0, पटना, दिनांक– 28/07/25
प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/25
निदेशक, खान